न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राज

प्रकरण : संख्या – .... शीर्षक.. बनाम..............................

दिनांक	कार्यवाही प्रकरण
	वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थिति पीठासीन ~~अधिकारी राज काज भ्रमण/अवकाश पर है।~~ पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 28.04.25 को पेश हो।
	28/4/2025 को पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी अनुपस्थित। उक्त में तहसीलदार कुंवारिया से प्रारम्भिक डिक्री की पालना में विभाजन योजना प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली विभाजन योजना के अवलोकन एवं विभाजन योजना पर आपत्ति/बहस हेतु दिनांक 7/5/25 को पेश हो।
P.D की प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार स्वीकार की	07.05.25 पत्रा० पेश हुई। अधि० वादी उपस्थित। प्राप्त विभाजन योजना अनुसार अंतिम डिक्री जारी किए जावे हेतु निवेदन किया। पत्रा० व विभाजन योजना का अवलोकन किया। विस्तृत निर्णय/आदेश व डिक्री पर्चा पृथक से जारी कर घोषित किया गया। पत्रा० पोर्टल शुमार होकर नत्थी रिकॉर्ड हो।
	सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) राजसमन्द।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी का नाम – बृजेश गुप्ता (R.A.S)
प्रकरण संख्या – 07/2023 रे. वाद
दायर तिथि – 16.01.2023
निर्णय तिथि – 09.05.2025

अनवान

1. नीरव सोनी पुत्र प्रकाशचन्द्र सोनी निवासी कुरज तह. रेलमगरा जिला राजसमन्द।

....................वादी

बनाम

1. देवा पुत्र लखा बंजारा निवासी सुर बस्ती खण्डेल तह. कुंवारिया जिला राजसमन्द।
2. कालु पुत्र नाथु बंजारा निवासी सुर बस्ती खण्डेल तह. कुंवारिया जिला राजसमन्द।
3. भज्जा पुत्र नाथु बंजारा निवासी सुर बस्ती खण्डेल तह. कुंवारिया जिला राजसमन्द।
4. बादर पुत्र नाथु बंजारा निवासी सुर बस्ती खण्डेल तह. कुंवारिया जिला राजसमन्द।
5. मीठु पुत्र नाथु बंजारा निवासी सुर बस्ती खण्डेल तह. कुंवारिया जिला राजसमन्द।
6. गेदीबाई पत्नि नाथु बंजारा निवासी सुर बस्ती खण्डेल तह. कुंवारिया जिला राजसमन्द।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कुंवारिया जिला राजसमन्द।

..................प्रतिवादीगण

वाद बाबत् विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थित

वादी की और से अधिवक्ता – श्री लादुलाल जाट
प्रतिवादी सं. 1 से 6 – अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय
प्रतिवादी सं. 7 – पेरोकार राज

: आदेश :

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई, अवलोकन किया गया संक्षिप्त मे इस प्रकार है –

प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.12.2024 को पारित की गई, जिसकी पालना मे तहसीलदार कुंवारिया ने अपने पत्र क्रमांक कोर्ट/2025/3627 दिनांक 24.04.2025 के द्वारा विभाजन योजना मय फहरिस्त एवं नक्सा ट्रेस प्रैषित की गई। अधिवक्ता वादी ने उपस्थित होकर प्राप्त विभाजन योजना को स्वीकार फरमाई जाकर अन्तिम डिक्री जारी किए जाने की ईस्तदुआ की गई। पत्रावली व प्राप्त विभाजन योजना का निरीक्षण किया गया। प्राप्त विभाजन योजना को स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री जारी किया जाना उचित समझता हूँ, अतः तहसीलदार कुंवारिया द्वारा प्रस्तुत की गई विभाजन योजना को स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम खण्डेल पटवार हल्का खण्डेल तहसील कुंवारिया खाता संख्या 311 मे वर्णित खसरा नं. 448 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.8417 हैक्टेयर लगान 9.73 का विभाजन, विभाजन योजना के आधार पर निम्नानुसार किया जाता है :–

क्र. स.	खातेदार का नाम	आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	नीरव सोनी पिता प्रकाशचन्द्र सोनी सा. कुरज खातेदार	448/1	0.2805	नहरी II	3.81
	योग	**किता 1**	**0.2805**	**–**	**3.81**
2	देवा पुत्र लखा हिस्सा 2/3 जाति बंजारा सा. देह खातेदार, धापुबाई पिता लखा बंजारा हिस्सा 1/6 सा. देह खातेदार, कालु, भज्जा, मीठु, बादर पिता नाथु, गेन्दी बाई पत्नि नाथु, प्रेम उर्फ बच्ची, हगामी, मेमू पिता नाथु हिस्सा	448/2	0.5612	नहरी II 0.4156 बंझड 0.1456	5.65 0.27

	4/27 जाति बंजारा सा. देह, जगदीश पिता गंगा हिस्सा 1/54 जाति बंजारा सा. देह खातेदार				
	योग	**किता 1**	**0.5612**	**—**	**5.92**

उपरोक्त हिस्से अनुसार पक्षकारान के मध्य विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय अनुसार राजस्व रेकार्ड मे पक्षकारान के हिस्से पृथक–पृथक अंकन किये जाने हेतु तहसीलदार कुंवारिया को विभाजन फहरिस्त मय नक्शा ट्रेस की एक प्रति इस आशय से भेजी जावें कि उक्त प्रकरण में अन्य किसी न्यायालय का स्थगन एवं अपील विचाराधीन नहीं होने की स्थिति में राजस्व रिकार्ड में अंकन करें। उक्त निर्णय अनुसार अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

बृजेश गुप्ता (R.A.S)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमंद

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

उक्त निर्णय आज दिनांक 09.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमंद

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

संख्याक नं. 1

मूल वाद में अंतिम डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी का नाम – बृजेश गुप्ता (R.A.S)

प्रकरण संख्या – 07/2023 रे. वाद

दायर तिथि – 16.01.2023

निर्णय तिथि – 09.05.2025

अनवान

1. नीरव सोनी पुत्र प्रकाशचन्द्र सोनी निवासी कुरज तह. रेलमगरा जिला राजसमन्द।

........................**वादी**

बनाम

1. देवा पुत्र लखा बंजारा निवासी सुर बस्ती खण्डेल तह. कुंवारिया जिला राजसमन्द।
2. कालु पुत्र नाथु बंजारा निवासी सुर बस्ती खण्डेल तह. कुंवारिया जिला राजसमन्द।
3. भज्जा पुत्र नाथु बंजारा निवासी सुर बस्ती खण्डेल तह. कुंवारिया जिला राजसमन्द।
4. बादर पुत्र नाथु बंजारा निवासी सुर बस्ती खण्डेल तह. कुंवारिया जिला राजसमन्द।
5. मीठु पुत्र नाथु बंजारा निवासी सुर बस्ती खण्डेल तह. कुंवारिया जिला राजसमन्द।
6. गेदीबाई पत्नि नाथु बंजारा निवासी सुर बस्ती खण्डेल तह. कुंवारिया जिला राजसमन्द।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कुंवारिया जिला राजसमन्द।

..................**प्रतिवादीगण**

<u>वाद बाबत् विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955</u>

उपस्थित

वादी की और से अधिवक्ता – श्री लादुलाल जाट

प्रतिवादी सं. 1 से 6 – अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय

प्रतिवादी सं. 7 – पेरोकार राज

मे इस आशय में दिनांक 09.05.2025 को न्यायालय के समक्ष पीडी दिनांक 06.12.2024 की पालना में विभाजन योजना अन्तिम निपटारे के लिये तहसीलदार कुंवारिया द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसे स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम खण्डेल पटवार हल्का खण्डेल तहसील कुंवारिया खाता संख्या 311 मे वर्णित खसरा नं. 448 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.8417 हैक्टेयर लगान 9.73 का विभाजन, विभाजन योजना अनुसार निम्नानुसार किया जाता है :–

क्र. स.	खातेदार का नाम	आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	नीरव सोनी पिता प्रकाशचन्द्र सोनी सा. कुरज खातेदार	448/1	0.2805	नहरी ।।	3.81
	योग	**किता 1**	**0.2805**	**–**	**3.81**
2	देवा पुत्र लखा हिस्सा 2/3 जाति बंजारा सा. देह खातेदार, धापुबाई पिता लखा बंजारा हिस्सा 1/6 सा. देह खातेदार, कालु, भज्जा, मीठु, बादर पिता नाथु, गेन्दी बाई पत्नि नाथु, प्रेम उर्फ बच्ची, हगामी, मेमू पिता नाथु हिस्सा 4/27 जाति बंजारा सा. देह, जगदीश पिता गंगा हिस्सा 1/54 जाति बंजारा सा. देह खातेदार	448/2	0.5612	नहरी ।। 0.4156 बंझड 0.1456	5.65 0.27
	योग	**किता 1**	**0.5612**	**–**	**5.92**

उपरोक्त हिस्से अनुसार पक्षकारान के मध्य विभाजन किये जाने का आदेश दिया जा
है। निर्णय अनुसार राजस्व रेकार्ड मे पक्षकारान के हिस्से पृथक–पृथक अंकन किये जाने है
तहसीलदार कुंवारिया को विभाजन फहरिस्त मय नक्शा ट्रेस की एक प्रति इस आशय से भे
जावें कि उक्त प्रकरण में अन्य किसी न्यायालय का स्थगन एवं अपील विचाराधीन नहीं है
की स्थिति में, अंतिम डिक्री अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

बृजेश गुप्ता (R.A.S)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
राजसमंद

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

उक्त अंतिम डिक्री पेर्चा आज दिनांक 09.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की
मोहर से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमन्द

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

संख्याक नं. 1

मूल वाद में प्रारम्भिक डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी का नाम – बृजेश गुप्ता (R.A.S)

प्रकरण संख्या – 07/2023 रे. वाद

दायर तिथि – 16.01.2023

प्राथमिक डिक्री जारी तिथि – 06.12.2024

अनवान

1. नीरव सोनी पुत्र प्रकाशचन्द्र सोनी निवासी कुरज तह. रेलमगरा जिला राजसमन्द।

.........................वादी

बनाम

1. देवा पुत्र लखा बंजारा निवासी सुर बस्ती खण्डेल तह. कुंवारिया जिला राजसमन्द।
2. कालु पुत्र नाथु बंजारा निवासी सुर बस्ती खण्डेल तह. कुंवारिया जिला राजसमन्द।
3. भज्जा पुत्र नाथु बंजारा निवासी सुर बस्ती खण्डेल तह. कुंवारिया जिला राजसमन्द।
4. बादर पुत्र नाथु बंजारा निवासी सुर बस्ती खण्डेल तह. कुंवारिया जिला राजसमन्द।
5. मीठु पुत्र नाथु बंजारा निवासी सुर बस्ती खण्डेल तह. कुंवारिया जिला राजसमन्द।
6. गेदीबाई पत्नि नाथु बंजारा निवासी सुर बस्ती खण्डेल तह. कुंवारिया जिला राजसमन्द।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कुंवारिया जिला राजसमन्द।

..................प्रतिवादीगण

वाद बाबत् विभाजन भूमि एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

वादी की और से अधिवक्ता – श्री लादुलाल जाट

प्रतिवादी सं. 1 से 6 – अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय

प्रतिवादी सं. 7 – पेरोकार राज

उक्त प्रकरण दिनांक 06.12.2024 को मेरे समक्ष पेश हुआ। प्रस्तुत वाद बाबत् विभाजन भूमि अन्तर्गत राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का स्वीकार किया जाता है। पक्षकारान के मध्य प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम खण्डेल पटवार हल्का खण्डेल तहसील कुंवारिया के खाता संख्या नया 311 एवं पुराना 324 नकल संवत् 2077–77 मे वर्णित खसरा नं. 448 कुल किता 1 का कुल रकबा 0. 8417 हैक्टेयर भूमि में अंकित खातेदारान का हिस्से अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री मीट्स व बाउण्डस के आधार पर जारी की जाती है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य अंकित हिस्से अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार कुंवारिया को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 को मध्य नजर रखते हुए वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य उपरोक्त आराजीयात का विभाजन किया जाकर विभाजन फहरिस्त मय नक्शा ट्रेस सहित दो–दो प्रतियों में तैयार कर न्यायालय में पेश करें। कमिश्नर शुल्क रू. 2500/– नियत किया जाता है।

बृजेश गुप्ता (R.A.S)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमन्द

उक्त प्राथमिक डिक्री पर्चा आज दिनांक 06.12.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की गोल मोहर से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमन्द